न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन्, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
24 / 2020	21.10.2020	05.08.2021

अनवान

1. कस्तुरीबाई पत्नि हिरा लाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
2. देवजी पुत्र छोगा जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
3. नन्दू बाई पुत्री हिरा लाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
4. मिठु लाल पुत्र हिरा लाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
5. मोहनी बाई पुत्री हिरा लाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
6. शान्ति लाल पुत्र हिरा लाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
7. शोभा लाल पुत्र हिरा लाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
8. सोहन पुत्र छोगा जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1. मिठू लाल पिता हिरा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
2. नंदराम पिता किशना जाति डांगी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
3. रतन लाल पिता नानू जाति डांगी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
4. छोगा लाल पिता कीका जाति डांगी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
5. मांगी लाल पिता माधु जाति डांगी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
6. शंकर सिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
7. भैरा पिता चुना सालवी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
8. रामा पिता मांगु जाति नाई आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
9. सत्यनारायण पिता नंदराम ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.10.18 15:05:56 IST
Reason: SelfAttested

10. शोभा लाल पिता बालुराम ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
11. राधेश्याम पिता गोवर्धन जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
12. नन्दराम पिता मांगी लाल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
13. लेला पिता सवाईराम जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
14. शंकर लाल पिता मोहन बैरवा आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
15. उदयराम पिता नीमा बैरवा आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
16. रतन लाल पिता जवाहरमल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

–::प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कोदियाखेड़ी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 26 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 166, 167, 168, 169, 170, 231, 232, 233, 234, 235, 561, 569, 573, 574, 575, 576, 628, 629, 869/563 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 05.08.2021 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। इस पर हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र [illegible] सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.10.18 15:05:56 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा कोदियाखेड़ी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 26 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 166, 167, 168, 169, 170, 231, 232, 233, 234, 235, 561, 569, 573, 574, 575, 576, 628, 629, 869/563 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।
पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.10.18 15:05:56 IST
Reason: SelfAttested